

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्थान 02/02-03/2017/....24..... /पटना, दिनांक...21.09.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास अरबल, नवादा, औरंगाबाद, खगड़िया, भागलपुर,  
अररिया, कटिहार, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, वैशाली एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना  
एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001 प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अन्तर्गत कुल  
राशि ₹ 75,62,300/- (पचहत्तर लाख बासठ हजार तीन सौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-  
31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए  
बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान  
की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय  
किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार  
व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा  
रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040001 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 13 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला  
सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की  
संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी  
की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित  
राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी  
एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी  
एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट  
शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में  
रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।


9. वित्त विभाग के ज्ञापांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विषय शीर्षों -01-01 से 01-07 में यदि किसी विषय शीर्ष में कम राशि प्रावधानित/आवंटित है तो जिस विषय शीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित/आवंटित है, में से घटाते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकती है।

10 आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

  
बजट सहायक  
21/9/17


  
प्रशाखा पदात  
21/9/17

  
सहायक निदेशक  
21/9/17

विश्वासभाजन  
  
निदेशक  
21/9/17


ज्ञापांक ..... 24 ..... /पटना, दिनांक ..... 21-09-17 .....

प्रतिलिपि:- 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्बवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक  
21/9/17


ज्ञापांक ..... 24 ..... /पटना, दिनांक ..... 21-09-17 .....

प्रतिलिपि:- 1. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्बवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक  
21/9/17

ज्ञापांक ..... 24 ..... /पटना, दिनांक ..... 21-09-17 .....

प्रतिलिपि:- 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।  
2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।  
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्बवाई हेतु प्रेषित।  
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

  
निदेशक  
21/9/17

  
21/9/17

### आवंटन विवरणी

मुख्य शोर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी संगठन, उप शोर्ष- 0001- प्रखंड स्तर पर  
सांख्यिकी यंत्र शोर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड- 35-3454022040001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भाता	01-04 मकान किराया भाता	01-05 परिवहन भाता	01-06 चिकित्सा भाता भत्ते	06-01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	28-01 कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>जिला सांख्यिकी कार्यालय</b>												
1	रोहतास	800000	200000	45000	-	7000	1052000	-	-	-	-	1052000
2	अरबल	200000	-	-	-	-	200000	-	-	-	-	200000
3	तवादा	200000	-	50000	-	-	250000	-	-	20000	-	270000
4	ओरंगाबाद	900000	-	-	-	5000	905000	-	-	-	-	905000
5	खगड़िया	400000	-	-	-	-	400000	-	-	-	-	400000
6	भागलपुर	500000	-	-	-	-	500000	-	-	-	-	500000
7	अररिया	300000	-	-	-	-	300000	-	-	-	-	300000
8	कटिहार	708000	-	5500	-	1800	715300	-	20000	-	-	735300
9	सहरसा	200000	-	-	-	-	200000	-	-	-	-	200000
10	समस्तीपुर	500000	-	-	-	-	500000	-	-	-	-	500000
11	शिवहर	500000	-	-	-	-	500000	-	-	-	-	500000
12	वैशाली	1000000	-	-	-	-	1000000	-	-	-	-	1000000
13	गोपालगंज	1000000	-	-	-	-	1000000	-	-	-	-	1000000
		7208000	200000	100500	0	13800	7522300	0	20000	20000	0	7562300

(पचहतर लाख बासठ हजार तीन सौ) रुपये मात्र।

*१२२१११२*

प्रशाखा  
पदाधिकारी

*१२२१११२*

निदेशक  
सहयोगी

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

